

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/4673 /

जबलपुर, दिनांक 22/09/2021

श्रीमती मिनाक्षी जोशी पत्नि स्व. श्री लक्ष्मीनारायण जोशी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, आकर्षित करना निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य के पद पर वेतनमान रूपये 4440-7440/-+ग्रेड पे रु. 1300/-) (7 वें वेतनमान में लेवल 1 पे मेट्रीक्स 15500-49000) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नांकित शर्तों पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर की स्थापना पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाती है : -

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे ।
2. यह कि इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है । यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं । यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा ।
3. यह कि वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नहीं करेंगी ।
4. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के अग्रिम अध्ययन नहीं करेंगी और न ही उससे संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होंगी, रचायाधी छात्रा के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

5. यह कि उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तौर पर है तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना कारण बताये समाप्त कर दी जावेगी।
6. यह कि, उनकी नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की जाती है कि उन्हें अपनी स्वारक्ष्यता का प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो प्रस्तुत करना होगा। स्वारक्ष्यता प्रमाण-पत्र विपरीत पाये जाने पर कर्मचारी की सेवायें समाप्त की जावेगी।
7. कर्मचारी को यह स्वीकार करना होगा कि प्रशासनिक आवश्यकता समझी जाने पर उन्हें मुख्यपीठ जबलपुर/खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर सेवा करने हेतु रक्तान्तरित किया जा सकेगा।
8. कर्मचारी को समय-समय पर पारित हिदायतों का कर्तव्यनिष्ठा के साथ पालन करना होगा।

9. यह कि, यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
10. कर्मचारी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे, वे भी उसे मान्य होंगे।
11. यह कि उपरोक्त कर्मचारी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वारक्ष्यता का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।


 (राजेन्द्र कुमार वाणी)
 रजिस्ट्रार जनरल
 Par

पृष्ठांकन क्रमांक D14674 /

जबलपुर, दिनांक : 22 / 09 / 2021

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्डौर, इन्डौर (म.प्र.).
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई/ई./आई.एल., एकजाम एंड लेवर ज्यूडिशियरी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर.
3. रजिस्ट्रार (एम.)/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर.
4. एस.पी.एस.ए. (एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,

5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर प्रिसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र., खण्डपीठ इन्दौर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1702103001 एम्प्लाई डेटाबेस में प्रविष्टि कराने हेतु अग्रेषित.
6. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इन्दौर
7. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
8. ज्वाइट रजिस्ट्रार (एम.)..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
9. डिटी रजिस्ट्रार (एम.)..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
10. असिरटेंट रजिस्ट्रार (एम.)..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
11. एडमिनिस्ट्रेटिव आफीसर (न्यायिक) रथापना / लेखा / वजट / पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के संक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार, न्यायिक / सतर्कता / आई. एल. आर एवं एक्जाम महोदय के संक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
14. सहायक रथापना / अवकाश / लेखा / वजट / पेंशन / सेवा पुस्तिका / वेतन पत्रक / डी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
15. उपरिथित लिपिक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर.
16. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
17. श्रीमती मिनाक्षी जोशी, पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण जोशी, 3. गुलाब बाग कॉलोनी, शिव मंदिर के पीछे, मुसाखेड़ी इन्दौर, (म.प्र.)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

उच्च
न्यायालय
(प्रियदर्शन अधिकारी)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Fm